



mail - dcpumdb@yanoo.co.in

समाहरणालय, मधुबनी।

(जिला बाल संरक्षण इकाई)

अयाची नगर, नगर भवन के पीछे, मधुबनी



06276-296004

सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 749, दिनांक 24.04.2026 के आलोक में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 एवं पॉक्सो नियम, 2020 के अंतर्गत सहायक व्यक्तियों का अस्थायी पदों पर सूचीबद्धता (Empanelment) करने हेतु मधुबनी जिला के निवासी, योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं—

क्र०सं०	पद का नाम	श्रेणीवार पदों की रिक्ति	शैक्षणिक योग्यता	कार्यानुभव	आयु	पारिश्रमिकी
01	सहायक व्यक्ति	कुल रिक्ति—35 1.अनुसूचित जाति/जनजाति कुल—09 (जेंडर न्यूट्रल—06, महिला—03) 2.पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग कुल—07 (जेंडर न्यूट्रल—04, महिला—03) 3.अल्पसंख्यक कुल—07 (जेंडर न्यूट्रल—04, महिला—03) 4.अनारक्षित कुल —12 (जेंडर न्यूट्रल—07, महिला—05)	सामाजिक कार्य (MSW)/ समाजशास्त्र/मनोविज्ञान/ बाल विकास या विधि में स्नातकोत्तर या बाल अधिकार/ परामर्शन में डिप्लोमा के साथ किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री के साथ—साथ तीन वर्ष का अनुभव।	बाल अधिकार/ बाल संरक्षण/ विधिक कार्य/ सामाजिक कार्य /बाल मनोविज्ञान परामर्शदाता / समाजशास्त्र/ मनोविज्ञान के क्षेत्र में कम-से-कम तीन वर्ष का वांछनीय कार्यानुभव। जिला विधिक सेवा प्राधिकार/ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार/ जिला बाल संरक्षण इकाई/ बाल कल्याण समिति/ किशोर न्याय बोर्ड/ पॉक्सो न्यायालय अथवा चाइल्ड लाईन/ चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं में कार्यानुभव को प्राथमिकता दी जाएगी।	(राज्य में बाल कल्याण समिति के सदस्य के चयन हेतु निर्धारित उम्र सीमा लागू होगी) न्यूनतम 30 वर्ष अधिकतम 65 वर्ष	बाल कल्याण समिति द्वारा आवंटित प्रति मामला की दर से 9000/- (नौ हजार रुपये मात्र) भुगतान किया जाएगा।

अन्य शर्तें

1. भारत का नागरिक होना चाहिए।
2. मधुबनी जिला का निवासी होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी का पूर्ववर्ती इतिहास स्वच्छ होना चाहिए। इनके विरुद्ध भारत में कहीं भी अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं रहना चाहिए। वे कभी भी नैतिक दुराचार (Moral Turpitude) के दोषी नहीं हों। इस आशय का उन्हें शपथ-पत्र समर्पित करना होगा।
4. बाल संरक्षण अथवा बाल विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहे किसी संस्था से निष्काषित अथवा ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
5. उपरोक्त पद पॉक्सो मामले पर आधारित अस्थायी (दो वर्ष के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा) पद होंगे।
6. विज्ञापन की विवरणी एवं विहित प्रपत्र विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से मधुबनी जिला के वेबसाईट <https://madhubani.nic.in> पर उपलब्ध रहेगा। विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
7. इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन की तिथि से 21 दिनों तक कार्यालय का पता—जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी, अयाची नगर, टाउन हॉल के पीछे, थाना चौक, मधुबनी, पिन—847211 पर निबधित डाक या कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर हाथों हाथ आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
8. आवेदक, आवेदन पत्र के साथ फोटो, शैक्षणिक प्रमाण—पत्र, अंक प्रमाण—पत्र, अनुभव प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र एवं आवासीय प्रमाण—पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंगे।
9. आयु की गणना दिनांक 01.05.2026 से की जाएगी।
10. अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता एवं चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में प्रदत्त अंको के योग के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
11. साक्षात्कार की तिथि को आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।
12. साक्षात्कार की तिथि की सूचना एवं सहायक व्यक्तियों की सेवा एवं कर्तव्य से संबंधित जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला प्रशासन के वेबसाईट <https://madhubani.nic.in> पर प्रदर्शित रहेगा।
13. उक्त विज्ञापन के संबंध में सभी प्रकार की सूचना यथा—साक्षात्कार में भाग लेने हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के मनोनयन की सूची आदि का प्रकाशन समय—समय पर वेबसाईट <https://madhubani.nic.in> एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा।
14. किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में अथवा अन्य कारणों से इस विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार सहायक व्यक्तियों के सूचीबद्धता हेतु गठित जिला स्तरीय समिति, मधुबनी के पास सुरक्षित रहेगा।
15. उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्य या प्रमाण—पत्र देने पर उनका सूचीबद्धता कभी भी रद्द किया जा सकता है।
16. कार्य करने के दौरान प्रतिकूल आचरण पाए जाने पर सूचीबद्धता कभी भी समाप्त किया जा सकता है।
17. आवेदन पत्र का प्रारूप जिला के वेबसाईट <https://madhubani.nic.in> पर उपलब्ध है।

Nitesh
16/06/26
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी।

राज्यसो अधिनियम, 2012 की धारा-39 के अंतर्गत "सहायक व्यक्ति" की सूचीबद्धता हेतु आवेदन प्रपत्र

जिला- मधुबनी

कार्यालय उपयोग हेतु (अनुक्रमांक:-..... आवेदन प्राप्ति की तिथि-...../...../.....)

1. आवेदक का नाम :-
(क) हिन्दी में :-
(ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में:-
2. पिता/पति का नाम:-
3. माता का नाम :-
4. लिंग (महिला/पुरुष/अन्य):-
5. (i) जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष):-
6. कोटि (अ0पि0व0/पि0व0/अनु0जाति/अनु0जनजाति/अल्पसंख्यक/अनारक्षित):-
7. राष्ट्रीयता :-
8. मोबाईल नम्बर :-
9. ई-मेल आईडी :-
10. आधार नम्बर :-
11. स्थाई पता :-

फोटो

(ii) 01 मई, 2026 को आयु.....

12. पत्राचार का पता :-

.....जिला:-.....पिन कोड.....

.....जिला:-.....पिन कोड.....

13. शैक्षणिक योग्यता

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय/संकाय	उत्तीर्णता वर्ष	प्राप्तांक/कुल अंक	% अंक
1	मैट्रिक या समकक्ष					
2	इंटरमीडिएट					
3	स्नातक					
4	स्नातकोत्तर					
5	Ph.D					
6	अन्य					

14. अनुभव का कार्य क्षेत्र -..... अवधि-..... वर्ष.....माह.....दिन

घोषणा

मैं.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मेरे विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है तथा मैं कभी भी अनैतिक दुराचार (Moral Turpitude) में दोषी नहीं पाया गया/गयी हूँ। यदि कोई तथ्य/सूचना असत्य पाई जाती है तो मेरी अभ्यर्थिता/सूचीबद्धता रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

मैं "सहायक व्यक्ति के लिए दिशा-निर्देश, बिहार 2026" में वर्णित शर्तों एवं दायित्वों का पालन करने हेतु सहमत हूँ।

अनुलग्नक: कुल.....पन्ने

स्थान:-

दिनांक:-

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

(केवल कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

प्राप्ति रसीद

आवेदक का नाम:-.....पिता का नाम:-.....

पता:-.....

आवेदन क्रमांक:-.....प्राप्ति तिथि:-.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर